

प्रेस नोट थाना झंगहा दिनांक 25-03-2021

पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा पुरस्कार घोषित/वांछित/चोर/लुटेरो अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम मे थाना स्थानीय पर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष झंगहा द्वारा पुरस्कार घोषित/वांछित/चोर/लुटेरो अपराधी की गिरफ्तारी हेतु एक सशक्त टीम गठित की गयी थी। उक्त टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 25-03-2021 को मु0अं0 सं0 84/21धारा 3(1)यू.पी गैंगेस्टर एक्ट से संबन्धित अभियुक्त रामू यादव पुत्र श्याम लाल यादव निवास जंगलरसूलपुर न02 थाना झंगहा जनपद गोरखपुर उम्र करीब 29 वर्ष को समय 09.00 बजे ग्राम जंगलरसूलपुर जनपद गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

रामू यादव पुत्र श्याम लाल यादव निवासी ग्राम जंगलरसूलपुर नं0 2 थाना झंगहा जनपद गोरखपुर

आपराधिक इतिहास -

मु0अ0स0 84/21धारा 3(1)यू.पी गैंगेस्टर एक्ट थाना झंगहा जनपद गोरखपुर

मु0अ0स0 77/20धारा 342/323/504/506भादवि

मु0अ0स0 61/19धारा 323/506/427 भादवि

मु0अ0स0 79/18धारा 60/63Ex Act व 272भादवि

मु0अ0स0 124/17धारा 147/148/149/323/504/506/452भादवि व 3(1)द.ध.SC ST Act

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल-

- 1.थानाध्यक्ष श्री संजय कुमार मिश्रा थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
- 2.उ0नि0श्री विजय कुमार थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
- 3.हे0का0 दीनानाथ यादव थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
- 4.हे0का0 कमलेश कुमार थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
- 5.हो0गा0 नसरुद्दीन थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
- 6.हो0गा0 विजयशंकर पाण्डेय थाना झंगहा जनपद गोरखपुर